न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 13/24

RCMS NO-2024/ 60 सन् 2024

बउनवानीः—1. मुरारी लाल पुत्र प्रहलाद माली निवासी सवाईगंज तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. कालूराम पुत्र प्रहलाद माली निवासी सवाईगंज तहसील सवाईमाधोपुर
3. गिर्राज पुत्र प्रहलाद माली निवासी सवाईगंज तहसील सवाईमाधोपुर
4. जगन्नाथी पत्नि प्रहलाद माली निवासी सवाईगंज तहसील सवाईमाधोपुर
5. सुवा पुत्र प्रहलाद माली निवासी सवाईगंज तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 323 निर्णय दिनांक 26.6.1978 वाके ग्राम सवाईगंज (अजीतपुरा) तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री मुकेश बंसल वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार शर्मा(नायब तहसीलदार) पैराकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 24.7.2024**

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 323 निर्णय दिनांक 26.6.1978 वाके ग्राम सवाईगंज (अजीतपुरा) तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता प्रहलाद पुत्र बजरंगा के फोत होने पर प्रहलाद के नाम की खातेदारी भूमि खाता संख्या 44 व 49 वाके ग्राम अजीतपुरा का विरासत का नामा0 संख्या 323 दिनांक 26.6.1978 को भरकर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम मुरारी के स्थान पर मोरपाल कर दिया है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम मुरारी पुत्र प्रहलाद है। कथन के समर्थन में मा0शि0बोर्ड की अंक तालिका, राशनकार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड बैंक पासबुक इत्यादि पेश कर अपीलान्ट का नाम आदेश जैर अपील मे मोरपाल के स्थान पर मुरारी करवाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 1.4.2024 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. बनवाने बाबत जमाबन्दी की नकल लेने पर [illegible] तथा दिनांक 15.4.2022 को नामा0 की नकल लेने पर प्राप्त होने पर [illegible] 5 के अपील अन्दर मयाद पेश की अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested

(डा. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 13/2024 उनवानी मुरारी बनाम सरकार जरिये तहसीलदार वगै.)

रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा दिनांक 14.6.2024 को न्यायालय मे उपस्थित होकर अपीलान्ट मुरारी का नाम मोरपाल के स्थान पर मुरारी लाल पुत्र प्रहलाद माली करने बाबत अपनी लिखित सहमति प्रदान करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट मुरारी हमारा भाई/पुत्र है यदि उसका नाम मोरपाल के स्थान पर मुरारी कर दिया जावेगा तो हमको कोई आपत्ति नही है तथा हमारा किसी प्रकार से हित भी प्रभावित नही हो रहा है। अतः अपीलान्ट का नाम मोरपाल के स्थान पर मुरारी करने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं रेस्पो0 द्वारा दी गयी सहमति एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील उभय पक्षो द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 323 दिनांक 26.6.1978 को इसलिए गलत बताया गया है क्योकि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम मुरारी के स्थान पर मोरपाल अंकित कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा अपना सही नाम मुरारी होने की पुष्टि के समर्थन में मा0शि0बोर्ड की अंक तालिका, राशनकार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड बैंक पासबुक इत्यादि पेश किये गये है। उपरोक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवायी एवं अपने सही नाम की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः प्रकरण नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनःसुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 323 निर्णय दिनांक 26.6.1978) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक प्रहलाद पुत्र बजरंगा माली निवासी सवाईगंज (अजीतपुरा) के सभी विधिक वारिसान की सुनवायी की जाकर एवं अपीलांन्ट के सही नाम की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत रिकार्ड पर लिये जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner